छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

Cr.M.P. No. 2439 of 2018

जगन्नाथ प्रसाद पिता श्री बृजमोहन यादव, उम्र लगभग 37 वर्ष,
निवासी– ग्राम त्रिपुरी, सरनाटोली, पुलिस थाना कुसमी,
जिला बलरामपुर–रामानुजगंज (छ०ग०)

... ... **याचिकाकर्ता**

विरुद्ध

आशीष कुमार साहू पिता स्व० श्री बी०आर० साहू,
उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी– द्वारा अशोक डिक्सेना,
अम्बे ऑटो पार्टस, ग्रामीण बैंक के बाजू में हरदीबाजार,
तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ०ग०)

... ...**प्रत्युत्तरदाता**

याचिकाकर्ता द्वारा : श्री विकास पाण्डेय अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के० अग्रवाल

आदेश

21/11/2019

(1) याचिकाकर्ता विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतकर्ता है । उन्होंने परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (अब से आगे "NI Act, 1881") की धारा 138 के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की और उक्त शिकायत 16 दिवस के विलंब से की गई, इसलिए "NI Act, 1881" की धारा 142 (1)(बी) के परन्तुक के अधीन एक आवेदन पर्याप्त कारण दर्शाते हुये विलंब को माफ करने के लिए भी दायर किया गया था, किंतु उक्त आवेदन परिवादी के शपथपत्र के साथ समर्थित नहीं था ।

(2) विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2018 के अनुसार यह कहते हुए उक्त आवेदन खारिज किया है कि शिकायत दर्ज करने में देरी के संबंध में कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, जिसकी पुष्टि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा परिवादी द्वारा दर्ज की गई पुनरीक्षण याचिका में की गई है, जिसके विरुद्ध तत्काल याचिका दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत पेश की गई है।

(3) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पाण्डे ने व्यक्त किया कि याचिकाकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने में देरी को माफ करने के संबंध में कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है, ऐसा मानकर निचली दोनों अदालतों द्वारा पूर्ण रुप से अनुचित किया है, जबकि विचारण न्यायालय को परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 142 (1)(बी) के परन्तुक के अधीन शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को माफ करने के लिए आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र दायर करने का अवसर देना चाहिए था, जिसे विचारण न्यायाधीश के साथ पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा भी प्रदान नहीं किया गया और याचिका खारिज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) प्रत्युत्तरदाता के लिए कोई नहीं, हालांकि उन्हें सूचित किया गया था ।

(5) **पवन कुमार रैली विरुद्ध मनिंदर सिंह नारुला**[1] qua के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा N.I Act,1881 की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में हुई देरी को माफ करने के लिए फैसला इस प्रकार किया गया:–

> "20. हालांकि, जब परिसीमा का विवाद प्रथम बार उच्च न्यायालय के समक्ष आया था, इसे अधिनियम की धारा 142 (बी) के परंतुक के

अनुसार गुण दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए था। अधिनियम की धारा 142 के उपखंड (बी) के परंतुक में जोड़ा गया। उक्त परंतु परक्राम्य लिखित (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम 2002 द्वारा डाला गया था और विधायिका की मंशा निःसंदेह परिसीमा अवधि की तकनिकियों पर काबू पाना था। संशोधन विधेयक 2002 में संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण बताता है कि यह परंतुक न्यायालय के परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अपराध का संज्ञान लेने का विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए था । [देखें MSR लेदर्स विरुद्ध एस० पालानीअप्पन (2013) 1 SCC 177] केवल शिकायतकर्ता की ओर से की गई कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से संसद ने वर्ष 2002 में अधिनियम की धारा 142 के उपखंड (बी) के प्रावधान में परंतुक शामिल किया। यह न्यायालय को विलंब माफ करने का अधिकारिता प्रदान करता हैं। [देखें सुबोध एस. सालास्कर विरूद्ध जयप्रकाश एम. शाह (2008) 13 SCC 689].

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिकायत दर्ज करते समय मजिस्ट्रेट को शिकायत का संज्ञान तब लेना होता है, जब वह परिसीमा के भीतर हो और शिकायत दर्ज करने में विलंब के मामले में, शिकायतकर्ता को विलंब माफी के आवेदन को साथ लेकर आना होता है, लेकिन मौजूदा मामले का अलग तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में केवल यही कहा गया है कि उसके द्वारा विधिक सूचना दिनांक 24 मई, 2012 भेजा गया था, लेकिन दिनांक 27 अप्रैल 2012 में हस्तलिखित नोट के बारे में कोई उल्लेख नहीं

किया गया हैं। उक्त कथन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायाधीश संतुष्ट हो जाते कि शिकायत परिसीमा की निर्धारित अवधि के भीतर है । इसलिए इस मामले में परिसीमा की दलील और विलंब माफ करने की न्यायालय के विवेकाधिकार की दलील ही उत्पन्न नहीं होती ।

22. इस मामले के विभिन्न तथ्य एवं परिस्थितियों में विधायिका की मंशा को ध्यान में रखते हुए और अपीलकर्ता के विशिष्ट तर्क जो उसके द्वारा विशेष याचिका के लिए उठाये है कि चूंकि प्रतिवादी को 25 दिनों के विलंब के कारण कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ा हैं, उसे विचारण न्यायालय के समक्ष विलंब माफी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी, हम दृढ़ता से यह महसूस करते है कि अपीलकर्ता को विधायिका द्वारा प्रदान किये गये उपचार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था । वास्तव में इस प्रकार प्रदान किया गया उपचार एक वास्तविक याचिकाकर्ता को परिसीमा की तकनीकी कठिनाइयों पर काबू पाकर एक दोषी के विरुद्ध अपना मामला आगे बढ़ाने में सक्षम बनाना था । इसलिए उच्च न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर परिसीमा के विवाद पर विचार न करके भूल की हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. राकेश कुमार जैन, एमएसआर लेदर्स. सुबोध एस सालास्कर (सुप्रा) के मामले में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर कि शिकायत परिसीमा बाधित है, शिकायत को खारिज करना सही नहीं था, वह भी एक ऐसी

दलील पर जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम बार ली गई थी । दूसरी ओर, उच्च न्यायालय को परिसीमा के प्रश्न पर निराकरण हेतु मामले को विचारण न्यायालय को वापस भेजना चाहिए था ।"

(5) पवन कुमार रैली (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायलय के निर्णय के आलोक में इस मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए N.I Act,1881 की धारा 142 (1) (बी) के परंतुक के अधीन, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1881 के अधिनियम की धारा 142 (1) (b) के परंतुक के प्रावधान के अंतर्गत विलंब माफी में लिए आवेदन दर्ज किया गया था, किंतु यह स्वीकार है कि वह शपथपत्र द्वारा समर्थित नहीं था, इसलिए विचारण मजिस्ट्रेट को उसे शपथपत्र पेश करने का अवसर देना चाहिए था ताकि वह संतुष्ट हो सके कि क्या उसके पास समय पर शिकायत ना प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण है जिसे स्वीकार नहीं किया गया और शिकायत साथ ही शिकायत दर्ज करने में देरी के लिए माफी का आवेदन दोनों ही बिना दूसरे पक्ष को सूचना दिए संक्षिप्त में खारिज कर दिया गया, जिससे उसके प्रति पक्षपात हुआ और न्याय की गंभीर विफलता हुई हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2018 साथ ही साथ पुनरीक्षण आदेश दिनांक 27.07.2018 दोनों को अपास्त किया जाता है । N.I. Act 1881 की धारा 142 (1)(बी) के परंतुक के अंतर्गत शिकायत एवं आवेदन को पुनः विधि अनुसार सुनवाई और निराकरण के लिए उक्त न्यायालय में वापस किया जाता हैं, जिसमें शिकायतकर्ता N.I अधिनियम की धारा 142 (1)(बी) के परंतुक के अंतर्गत आवेदन के समर्थन में शपथपत्र 13

दिसम्बर, 2019 तक या उससे पूर्व प्रस्तुत करेंगे और मामले की सुनवाई विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा 16 दिसम्बर, 2019 को विधि अनुसार किया जाएगा ।

(7) इस CRMP को उक्त बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है । कोई लागत नहीं ।

सही/–
(संजय के० अग्रवाल)
जज

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**